

(112)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

कार्यवृत्त

(साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल (BOS) की बैठक)

दिनांक 14.11.2014

अध्ययन मंडल की बैठक आज दिनांक 14.11.2014 को पूर्वाह्न 09.30 बजे अध्यक्ष, साहित्य विभाग के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए-

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, अध्यक्ष | 6. डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, सदस्य |
| 2. प्रो. अनंत मिश्र, बाह्य विषय विशेषज्ञ | 7. डॉ. उमेश कुमार सिंह, सदस्य |
| 3. प्रो. वीणा दाढ़े, बाह्य विषय विशेषज्ञ | 8. डॉ. बीर पाल सिंह यादव, सदस्य |
| 4. डॉ. प्रीति सागर, सदस्य | 9. डॉ. रूपेश कुमार सिंह, सदस्य |
| 5. डॉ. रामानुज अस्थाना, सदस्य | |

बैठक में प्रस्तुत विषयों के संदर्भ में अध्ययन मंडल द्वारा लिए गये सर्वसम्मति निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है-

मद संख्या - 01 - सत्र 2014-15 हेतु एम.फिल. हिंदी एवं एम.फिल. हिंदी (तु.सा.) के पाठ्यक्रम का कार्यशाला आयोजित कर निर्माण किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम मा. कुलपति महोदय की अनुमति से वर्तमान सत्र 2014-15 में पढ़ाया जा रहा है। संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

निर्णय : उक्त पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या 02 - पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थियों - श्री कमलेश यादव, श्री यदुवंश यादव, श्री प्रदीप त्रिपाठी, श्री दयानिधि पाठक, श्री रमेश कुमार, सुश्री विजय लक्ष्मी सिंह के शोध-विषय का निर्धारण।

RKH



निर्णय : शोध विषय का निर्धारण निम्नानुसार किया गया -

क्र.	शोधार्थी	विषय
1.	कमलेश यादव	भारतेन्दुयुगीन हिंदी नवजागरण में धर्म का संदर्भ
2.	यदुवंश यादव	हिंदी औपन्यासिक आलोचना (1980 से 2010 के बीच के उपन्यासों के संदर्भ में)
3.	प्रदीप त्रिपाठी	अमरकांत की कहानियां : अंतर्वस्तु और शिल्प
4.	दयानिधि पाठक	शेखर जोशी की कहानियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन
5.	रमेश कुमार	हिंदी दलित कहानियों में सामाजिक संघर्ष का स्वरूप
6.	विजय लक्ष्मी सिंह	स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में किसान जीवन

मद संख्या - 03 - पी-एच.डी. शोधार्थियों - सुश्री अर्चना त्रिपाठी, सुश्री प्रीति प्रजा, श्री अरविंद उपाध्याय, श्री संजीव झा, श्री बलबीर सिंह, सुश्री पूजा धनराज झिलपे, सुश्री सूर्या ई.वी. एवं शोभा बिसेन के शोध अवधि विस्तार पर विचार।

निर्णय : सुश्री अर्चना त्रिपाठी एवं प्रीति प्रजा को 06 माह तथा अन्य शोधार्थियों - श्री संजीव झा, श्री बलबीर सिंह, सुश्री पूजा धनराज झिलपे, सुश्री सूर्या ई.वी. एवं शोभा बिसेन को 01 साल का शोध अवधि का विस्तार शोधवृत्ति के साथ किया गया। श्री अरविंद उपाध्याय को शोधवृत्ति के साथ पिछली अवधि का विस्तार देते हुए 14/11/2014 से 06 माह का शोध अवधि विस्तार इस आशय के साथ दिया गया कि वे इस बीच अपने शोध कार्य से शोध निर्देशक को संतुष्ट करें। शोधवृत्ति की पात्रता हेतु शोध-निर्देशक की संस्तुति आवश्यक होगी।

मद संख्या 04 - सुश्री अर्चना त्रिपाठी, सुश्री प्रीति प्रजा एवं श्री आनंद एस. के शोधवृत्ति संबंधी आवेदन पर विचार (नोट : श्री आनंद एस. के संबंध में शोध उपाधि समिति के निर्णय के आलोक में जारी कार्यालयादेश (पत्रांक : 016/2013/RDC/25/DOL/304 दिनांक 31/07/2013) के अनुसार द्वितीय छमाही का विस्तार बिना छात्रवृत्ति के साथ किया गया है।)

निर्णय : सुश्री अर्चना त्रिपाठी एवं प्रीति प्रजा को अंतिम 06 माह की शोधवृत्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी। श्री आनंद एस. के संबंध में अध्ययन मंडल ने इसके तकनीकी पक्ष पर विचार कर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया।

मद संख्या - 05. डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा के आवेदन पर विचार।

निर्णय: साहित्य विभाग के संदर्भ में विचारणीय नहीं है।

मद संख्या - 06. पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थी श्री चे जिलूंग (चीन) के शोध निर्देशक का निर्धारण।

निर्णय : डॉ. उमेश कुमार सिंह को शोध निर्देशक नामित किया गया।

मद संख्या - 07. पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थियों श्री संजीव कुमार एवं सुश्री पूजा धनराज झिलपे के शोध निर्देशक का पुनः निर्धारण मा. कुलपति महोदय द्वारा किया गया है। उक्त निर्णय कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : उक्त निर्णय का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या - 08. पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थी श्री पेटॅर शागि (हंगरी) के शोध निर्देशक का पुनर्निर्धारण।

निर्णय : प्रो. कृष्ण कुमार सिंह को शोध निर्देशक नामित किया गया।

मद संख्या 09 - पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थी श्री प्रेम प्रकाश यादव के शोध निर्देशक का पुनर्निर्धारण।

निर्णय : प्रो. कृष्ण कुमार सिंह को शोध निर्देशक नामित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे मामले में शोधार्थियों की गणना शोध निर्देशक हेतु निर्धारित संख्या के अतिरिक्त की जाए। भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय।

मद संख्या 10 - एम.ए. हिंदी, चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के तृतीय प्रश्न-पत्र में 'फादर सर्जियस' की अनुपलब्धता के कारण उसके स्थान पर दूसरी कृति पर विचार।

निर्णय : 'दोन की खोते' कृति निर्धारित की गई।

मद संख्या - 11. पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थी श्री संदीप सपकाळे के प्रस्तावित शोध विषय 'हिंदी एवं मराठी दलित आत्मकथाओं में सामाजिक पृष्ठभूमि' पर विचार।

निर्णय : उक्त शोध प्रस्ताव अनुमोदित।

मद संख्या - 12. बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझाव-

- 1- विषय निर्धारण, निर्देशक निर्धारण और विषय की सार्थकता, प्रस्ताव आदि के संदर्भ में शोधार्थी विभागाध्यक्ष और विभागीय सदस्यों के सामने पूर्व प्रस्तुति देगा। निर्देशक और शोधार्थी की आपसी सहमति के उपरांत ही उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण की जाए।

निर्णय : अनुमोदित।

- 2- पी-एच.डी. के शोध विषय के संदर्भ में विशेष संभावित क्षेत्र (Thrust area) तय किए जायें तथा तुलनात्मकता पर बल दिया जाए।

निर्णय : अनुमोदित।

- 3- विभाग में एम.ए. हिंदी, एम.फिल. हिंदी पाठ्यक्रम संचालित हैं। इनके साथ पी-एच.डी. हिंदी पाठ्यक्रम भी संचालित किया जाए।

निर्णय : अनुमोदित। विद्या परिषद की अगली बैठक में रखा जाए।

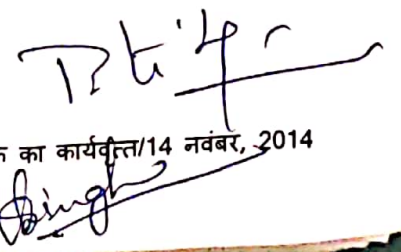
अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


जय प्रिय









महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

कार्यवृत्त

(हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल (BOS) की बैठक)

दिनांक 18.06.2015

अध्ययन मंडल की बैठक आज दिनांक 18.06.2015 को पूर्वाह्न 10.30 बजे अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए-

- | | |
|--|--|
| 1. प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, अध्यक्ष | 5. डॉ. उमेश कुमार सिंह, सदस्य |
| 2. प्रो. वीणा दाढ़े, बाह्य विषय विशेषज्ञ | 6. डॉ. बीर पाल सिंह यादव, सदस्य |
| 3. डॉ. रामानुज अस्थाना, सदस्य | 7. डॉ. रुपेश कुमार सिंह, सदस्य |
| 4. डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, सदस्य | 8. डॉ. हिरण्य हिमकर, सदस्य (भूतपूर्व विद्यार्थी) |

बैठक में प्रस्तुत विषयों के संदर्भ में अध्ययन मंडल द्वारा लिए गये सर्वसम्मति निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है-

मद संख्या -01 : पी-एच.डी. शोधार्थियों श्री राम मनोहर मिश्र व कमलेश यादव (सत्र 2013-14) के आवेदन पर विचार।

निर्णय : तथ्यों का ब्यौरा देते हुए मा. कुलपति महोदय के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या -02 : कोलकाता केंद्र के प्रभारी द्वारा प्रेषित पत्र एम.ए. पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव अध्ययन मंडल में विचारार्थ।

निर्णय : एम.ए. हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के प्रस्तावित प्रश्न पत्र को सत्र 2015-16 से CBCS आधारित पाठ्यक्रम में ऐच्छिक प्रश्नपत्र के रूप में शामिल किया गया।

मद संख्या -03 : संयुक्त कुलसचिव, अकादमिक के पत्र (पत्रांक:005/DHCL/10(2-2)/2014-15/251, दिनांक 31.03.2015) एवं प्रभारी इलाहाबाद केंद्र के पत्र (डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा,

(4)

सहायक प्रोफेसर को साहित्य विद्यापीठ में पी-एच.डी. पर्यवेक्षक नियुक्त करने के संबंध में) पर विचार।

निर्णय : विचारणीय नहीं।

मद संख्या -04 : पी-एच.डी. शोधार्थियों - श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, श्री बलबीर सिंह, सुश्री पूजा धनराज झिलपे, एवं शोभा बिसेन के शोध अवधि विस्तार पर विचार। (नोट : श्री अरविंद कुमार उपाध्याय ने मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिया है।)

निर्णय : शोध अवधि विस्तार निम्नानुसार दिया गया -

क्रम	शोधार्थी	शोध अवधि विस्तार
1	श्री बलबीर सिंह	06 माह (11.07.2015 से 10.01.2016)
2	सुश्री पूजा धनराज झिलपे	06 माह (12.07.2015 से 11.01.2016)
3	सुश्री शोभा बिसेन	06 माह (12.07.2015 से 11.01.2016)

शोधवृत्ति की पात्रता नियमानुसार होगी।

मद संख्या -05 : पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थी श्री चे जिलूंग (चीन) के प्रस्तावित शोध विषय 'चीन में प्रेमचंद साहित्य : अनुवाद, अनुसंधान, प्रभाव और तुलनात्मक अध्ययन' पर विचार एवं शोध विषय का निर्धारण।

निर्णय : प्रस्तावित शोध विषय में संशोधन करते हुए 'चीनी साहित्य पर प्रेमचंद का प्रभाव' विषय निर्धारित किया गया।

मद संख्या -06 : पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थी श्री संजीव कुमार के शोध विषय में आंशिक बदलाव के संबंध में प्राप्त पत्र विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

निर्णय : तथ्यों का अवलोकन कर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष, अध्ययन मंडल को अधिकृत किया गया।

(3)

मद संख्या -07 : पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत शोधार्थी श्री प्रेम प्रकाश यादव के आवेदन (विषय : अनिवार्य आवासीय अवधि पूरा होने के उपरांत बाहर रहते हुए पी-एच.डी. पूरा करने की अनुमति के संबंध में) विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

निर्णय : अनुमति प्रदान की गई।

मद संख्या -08 : पाठ्यक्रम निर्माण कार्यशाला दिनांक 15-16 जून, 2015 को संपन्न हुई। कार्यशाला में CBCS आधारित पाठ्यक्रम (सत्र 2015-16 हेतु) तैयार किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम (संलग्न) अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

निर्णय : अवलोकित एवं अनुमोदित। आवश्यक कार्यवाही हेतु स्कूल बोर्ड/विद्यापरिषद में रखा जाए।

मद संख्या 09 : मा. कुलपति एवं विभागीय अध्यापकों की उपस्थिति में दिनांक 15 अप्रैल 2015 को आयोजित बैठक में पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) में पंजीकृत (सत्र 2014-15) शोधार्थियों ने अपना पूर्व पंजीयन सेमिनार प्रस्तुत किया। उक्त बैठक में पी-एच.डी. शोधार्थियों का शोध-विषय निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है-

क्र.	नाम	प्रस्तावित विषय
1.	कृष्ण कुमार मिश्र	उन्नीसवीं सदी के अंत की हिंदी कविता और श्रीधर पाठक
2.	ध्रुव कुमार	समकालीन हिंदी उपन्यास में परिवेश की संवेदना
3.	शैलेन्द्र कुमार शुक्ल	अवधी कविता : स्वभाव और प्रवृत्तियां (संदर्भ 1950-2010)
4.	चेतन सिंह	हिंदी नाटकों में दलित चेतना का विकास
5.	ज्योति भारती	हिंदी साहित्य का इतिहास और स्त्री
6.	निशांत मिश्रा	हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन का यथार्थ (संदर्भ 2000-2014)
7.	स्कंद स्वामी नारायण सिंह	दूधनाथ सिंह और इन्तजार हुसैन के उपन्यासों में सांप्रदायिकता का प्रश्न
8.	विजय कुमार यादव	हिंदी उपन्यासों में संबंधों का बदलता स्वरूप (अज्ञेय, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी)
9.	प्रियंका शर्मा	इक्कीसवीं शताब्दी में सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन और हिंदी कहानी

18/06/15

18/06/15
3/4 Page

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक का कार्यवृत्त/18 जून 2015

10.	गरिमा	भोजपुरी लोकगीतों में परिवार
11.	अनुसुमन बड़ा	नागपुरिया कथा साहित्य में चित्रित जीवन-संघर्ष

उक्त शोधार्थियों के शोध-विषय एवं शोध-निर्देशक निर्धारण हेतु।

निर्णय : उक्त शोध विषय अनुमोदित। शोधार्थियों के शोध निर्देशक का निर्धारण निम्नानुसार किया गया-

क्र.	नाम	शोध निर्देशक
1.	कृष्ण कुमार मिश्र	डॉ. प्रीति सागर
2.	ध्रुव कुमार	डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी
3.	शैलेन्द्र कुमार शुक्ल	डॉ. रामानुज अस्थाना
4.	चेतन सिंह	डॉ. उमेश कुमार सिंह
5.	ज्योति भारती	प्रो. सूरज पालीवाल
6.	निशांत मिश्रा	डॉ. बीर पाल सिंह यादव
7.	स्कंद स्वामी नारायण सिंह	डॉ. रूपेश कुमार सिंह
8.	विजय कुमार यादव	डॉ. बीर पाल सिंह यादव
9.	प्रियंका शर्मा	डॉ. प्रीति सागर
10.	गरिमा	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
11.	अनुसुमन बड़ा	प्रो. सूरज पालीवाल

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
अध्ययन मंडल की बैठक

दिनांक 06 अप्रैल, 2016

कार्यवृत्त

आज दिनांक 06 अप्रैल 2016 को पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रो. सूरज पालीवाल, विभागाध्यक्ष के कक्ष में अध्ययन मंडल की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में मदवार लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं-

मद संख्या 1. पी-एच.डी. शोधार्थी सूर्या ई. वि के शोध अवधि विस्तार संबंधी आवेदन पर विचार। (प्रवेश तिथि : 22-07-2011)

निर्णय : पी-एच.डी अध्यादेश (45/2009) के बिंदु 7.3 के आलोक में 01 वर्ष का शोध अवधि विस्तार किया गया।

मद संख्या 2. पी-एच.डी. शोधार्थी शोभा बिसेन के पी-एच.डी कार्य के साथ नौकरी करने संबंधी आवेदन पर विचार। (शोभा बिसेन ने अपना शोध-प्रबंध मूल्यांकन हेतु विभाग में जमा कर दिया है।)

निर्णय : अनुमोदित

मद संख्या 3. पी-एच.डी. शोधार्थियों स्कन्द स्वामी नारायण सिंह, चेतन सिंह, शैलेन्द्र कुमार शुक्ल, आशुतोष कुमार शुक्ल, विजय कुमार यादव एवं अनुसुमन बड़ा के शोध-विषय में परिवर्तन संबंधी प्राप्त आवेदन पर विचार।

निर्णय : आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्नानुसार शोध विषय निर्धारित किया गया -

क्रम	शोधार्थी का नाम	परिवर्तित शोध विषय
1.	स्कन्द स्वामी नारायण सिंह	'दूधनाथ सिंह के कथा साहित्य में जीवन मूल्य'
2.	चेतन सिंह	दलित केंद्रित हिंदी नाटकों में प्रतिरोध के स्वर'
3.	शैलेन्द्र कुमार शुक्ल	'अवधी कविता : स्वभाव और प्रवृत्तियाँ' (संदर्भ : 1850-2010)
4.	आशुतोष कुमार शुक्ल	आठवें दशक के हिंदी उपन्यासों का समाज वैज्ञानिक अध्ययन
5.	विजय कुमार यादव	शोधार्थी के सहमति से शोध विषय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
6.	अनुसुमन बड़ा	झारखंड के आदिवासी हिंदी कथा साहित्य में आदिवासी अस्मिता के प्रश्न

मद संख्या 4. पी-एच.डी. में पंजीकृत (सत्र 2015-16) शोधार्थियों ने 29 मार्च 2016 को विभागीय बैठक में अपना पी-एच.डी. पूर्व पंजीयन सेमिनार प्रस्तुत किया जिसके आलोक में शोध विषय एवं शोध निर्देशक पर विचार।

निर्णय : निम्नानुसार शोध-विषय एवं शोध-निर्देशक निर्धारित किया गया -

क्रम	शोधार्थी का नाम	शोध विषय	शोध-निर्देशक
1.	शशशिरि सुवर्णदिव्य	रामाकियान और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. बीर पाल सिंह यादव
2.	पूजा रानी	आदिवासी विमर्श और हिंदी कहानी	प्रो. सूरज पालीवाल
3.	आलोक कुमार शुक्ल	21वीं सदी के प्रथम दशक के उपन्यास और भूमंडलीकरण	डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी
4.	गि-हे दिलीप लक्ष्मण	हिंदी और मराठी आदिवासी कविताओं में जीवन संघर्ष	डॉ. सुनील कुमार
5.	कदम गजानन साहेबराव	हिंदी एवं मराठी संत काव्य का वर्तमान	डॉ. बीर पाल सिंह यादव
6.	मोनिका पंत	हिंदी के पहाड़ी लेखकों के उपन्यासों में जीवन संघर्ष (उत्तराखंड के संदर्भ में)	डॉ. सुनील कुमार
7.	दिप्ति कुमारी शर्मा	-	डॉ. प्रीति सागर
8.	रंजीत कुमार निषाद	हिंदी की दलित महिला कथाकारों की कहानियों में सामाजिक यथार्थ	डॉ. सुनील कुमार

नोट : दिप्ति कुमारी शर्मा अपने शोध निर्देशक की सहमति के उपरांत यथाशीघ्र शोध विषय के संबंध में विभाग को सूचित करें।

मद संख्या 5. पी-एच.डी. शोधार्थी श्री रवीन्द्र कुमार यादव के संबंध में डॉ. रूपेश कुमार सिंह द्वारा कुलपति महोदय को प्रेषित पत्र पर उनके निर्देशानुसार एवं अकादमिक विभाग से प्राप्त पत्र (005/DHCL/10 (2-2)/2014-15, दिनांक: 05.04.2016) पर अध्ययन मंडल में विचार।

निर्णय : अकादमिक विभाग से प्राप्त पत्र (005/DHCL/10 (2-2)/2014-15, तिथि 05.04.2016) के आलोक में रवीन्द्र कुमार यादव के आवेदन एवं डॉ. रूपेश कुमार सिंह के पत्र पर कुलपति महोदय से प्राप्त निर्देशानुसार विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि पी-एच.डी. अध्यादेश (45/2009) के बिंदु संख्या 5.6 (II) के अनुसार दो साल पूर्ण होने के पश्चात शोध-निर्देशक का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

[Handwritten signature]
6/4/16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

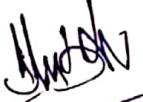
मद संख्या 6. पी-एच.डी. शोधार्थियों सुश्री पूजा झिलपे, सुश्री शोभा बिसेन, सुश्री अंकिता, सुश्री मेघा, सुश्री निलन्ति कुमारी राजपक्ष एवं सुश्री राजेश कुमारी के शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु शोध निर्देशकों से प्राप्त परीक्षकों का पैनल अनुमोदनार्थ।

निर्णय : उक्त के संबंध में पैनल अनुमोदित किए गए।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

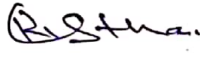

(डॉ. हिरण्य हिमकर)

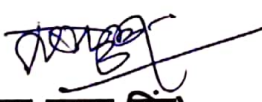

(डॉ. रूपेश कुमार सिंह)


(डॉ. सुनील कुमार)


(डॉ. बीर पाल सिंह यादव)


(डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी)


(डॉ. रामानुज अस्थाना)


(प्रो. कृष्ण कुमार सिंह)


(प्रो. सूरज पालीवाल)



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
 Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
 (A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, साहित्य विद्यापीठ के अध्ययन मंडल की बैठक का
कार्यवृत्त

दिनांक : 25 अप्रैल, 2017
 हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग की अध्यक्षता में
 दिनांक 25 अप्रैल 2017 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

* प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: अध्यक्ष
* डॉ. प्रीति सागर, एसोशिएट प्रोफेसर	: सदस्य
* डॉ. रामानुज अस्थाना, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
* डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
* डॉ. बीर पाल सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
* डॉ. रूपेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
* प्रो. गजेन्द्र पाठक, हैदराबाद	: बाह्य विषय विशेषज्ञ
* प्रो. भारती गोरे, औरंगाबाद	: बाह्य विषय विशेषज्ञ

* प्रो. गजेन्द्र पाठक, हैदराबाद एवं डॉ. रूपेश कुमार सिंह (अनुपस्थित)

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

मद सं. 1. बी.ए. हिंदी एवं बी.ए. हिंदी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम पर विचार।

निर्णय : अनुमोदित।

मद सं. 2. लोक साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार।

निर्णय : सत्र 2018-19 से पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 3. एम.ए. तुलनात्मक साहित्य, एम.फिल. तुलनात्मक साहित्य एवं पी-एच.डी. तुलनात्मक साहित्य के स्थान पर पूर्व में स्थगित किए गए एम.ए.हिंदी(तुलनात्मक साहित्य), एम.फिल.हिंदी(तुलनात्मक साहित्य) एवं पी-एच.डी.हिंदी(तुलनात्मक साहित्य) पाठ्यक्रम पुनः संचालित करने पर विचार।

निर्णय : अनुमोदित।

मद सं. 4. आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्मृति व्याख्यान माला का आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय : अनुमोदित।

मद सं. 5. पी-एच.डी. शोधार्थी श्री सूर्य प्रकाश एवं श्री आशुतोष कुमार शुक्ल के आवेदन पर विचार।

निर्णय : दोनों शोधार्थियों को नौकरी के साथ पी-एच.डी. शोधकार्य जारी रखने की अनुशंसा की गई।

मद सं. 6. हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के सत्र 2016-17 में प्रवेश प्राप्त पी-एच.डी. के शोधार्थी श्री आशीष कुमार के आवेदन पर विचार।

निर्णय : नियमानुसार कार्यवाही हेतु अकादमिक विभाग को आवेदन प्रेषित करने की अनुशंसा की गई।

मद सं. 7. हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के सत्र 2015-16 में प्रवेश प्राप्त पी-एच.डी. के शोधार्थी श्री गिरहे दिलीप लक्ष्मण के आवेदन पर विचार।

निर्णय : संशोधित शोध विषय 'हिंदी और मराठी आदिवासी कविताओं में जीवन संघर्ष' (2000-2015) होगा।

मद सं. 8. हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के सत्र 2016-17 में प्रवेश प्राप्त पी-एच.डी. के शोधार्थियों के शोध-विषय एवं शोध-निर्देशक के निर्धारण पर विचार।

निर्णय : अनुमोदित।

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र) भारत

Post : Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha - 442 005 (Maharashtra), INDIA

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org

(Handwritten signature)



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

60

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार किया गया जो निम्नानुसार हैं -

- * पी.एच.डी. शोधार्थियों के परीक्षकों के पैनल का अनुमोदन किया गया एवं परीक्षा विभाग को भेजने की अनुशंसा की गई।
- * पी.एच.डी. शोधकार्य के संदर्भ में दस साल पहले प्रकाशित रचनाओं और एम.फिल. शोधकार्य के संदर्भ में पांच साल पहले प्रकाशित रचनाओं पर ही शोधकार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
- * दूर शिक्षा निदेशालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा माननीय कुलपति को लिखे गए उस पत्र पर विचार किया गया जो माननीय कुलपति ने अपनी टिप्पणी के साथ अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग को विचारार्थ भेजा था। हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग में शोध-निर्देशक बनाये जाने के संदर्भ में डॉ. शर्मा के आवेदन पर विचारोपारंत निर्णय लिया गया कि उक्त के संदर्भ में भारत का राजपत्र : असाधारण, भाग III- खंड 4 सं. 278 जुलाई 5, 2016 के अनुच्छेद क्र. 6.2 के अनुसार - केवल संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि, उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।
उक्त के संबंध में संबंधित प्रकरण को निर्देशार्थ/निणयार्थ माननीय कुलपति के पास सादर भेजा जा रहा है।
- * हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के प्रो. सूरज पालीवाल दिनांक 30 नवम्बर 2016 को विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में शोध निर्देशक की पात्रता के संबंध में भारत का राजपत्र : असाधारण, भाग III- खंड 4 सं. 278 जुलाई 5, 2016 के अनुच्छेद क्र. 6.2 के अनुसार - केवल संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव का माननीय कुलपति को प्रेषित पत्र पत्रांक D.O.No.F.10-6/2011(PS) Misc. 6 July 2015 को जारी एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पत्र (संलग्न) के आलोक में प्रो. सूरज पालीवाल सेवानिवृत्ति के उपरान्त अपने निर्देशन में पंजीकृत पी.एच.डी. शोधार्थियों का शोध निर्देशन कर सकते हैं अथवा नहीं। इस संबंध में माननीय कुलपति से स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

(डॉ. बीर पाल सिन्हा/यादव)

(डॉ. प्रीति सागर)

(डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी)

(प्रो. भारती गौरे)

(डॉ. रामानुज अस्थाना)

(प्रो. कृष्ण कुमार सिंह)

पोस्ट -हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा- 442001 (महाराष्ट्र) भारत

Post : Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha - 442 005 (Maharashtra), INDIA

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, साहित्य विद्यापीठ के अध्ययन मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक विभागाध्यक्ष, प्रो. कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विभागाध्यक्ष कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

❖ प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	: अध्यक्ष
❖ प्रो. प्रीति सागर, प्रोफेसर	: सदस्य
❖ प्रो. अखिलेश कुमार दुबे, प्रोफेसर	: सदस्य
❖ प्रो. अवधेश कुमार, प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. रामानुज अस्थाना, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. बीर पाल सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. रूपेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ प्रो. गजेन्द्र पाठक, हैदराबाद	: सदस्य (बाह्य विषय विशेषज्ञ)
❖ प्रो. भारती गोरे, औरंगाबाद	: सदस्य (बाह्य विषय विशेषज्ञ)
❖ डॉ. प्रीति प्रज्ञा (अनुपस्थित)	: सदस्य (पूर्व विद्यार्थी)

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

मद सं. 1. प्रो. अखिलेश कुमार दुबे एवं प्रो. अवधेश कुमार को शोध निर्देशक बनाया जाना।

निर्णय : अनुमोदित।

मद सं. 2. एम.फिल. सत्र 2016-17 में प्रवेश प्राप्त शोधार्थियों के शोध विषय एवं शोध निर्देशक का आवंटन।

निर्णय : अनुमोदित।

मद सं. 3. एम.फिल. तुलनात्मक साहित्य सत्र 2017-18 के विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन पर विचार।

निर्णय : पाठ्यक्रम का नाम परिवर्तित कर एम.फिल. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) करने की अनुशंसा की गई।

मद सं. 4. पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) सत्र 2014-15 में नामांकित शोधार्थी स्कन्द स्वामी नारायण के आवेदन पर विचार।

निर्णय : शोध कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई।

मद सं. 5. पी-एच.डी. हिंदी (तु.सा.) के शोधार्थियों की शोध अवधि का विस्तार।

5.1. श्री सूर्य प्रकाश के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.2. श्री राममनोहर मिश्र के आवेदन पर विचार।

निर्णय : छः महीने का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.3. श्री रमेश कुमार के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.4. श्री शैलेश कुमार के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।



5.5. श्री रवीन्द्र कुमार यादव के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.6. सुश्री विजय लक्ष्मी सिंह के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.7. श्री कमलेश यादव के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.8. श्री दयानिधि पाठक के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.9. श्री आशुतोष कुमार शुक्ल के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.10. श्री भावना मासीवाल के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.11. श्री शशिकांत यादव के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.12. श्री प्रदीप त्रिपाठी के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.13. श्री गजेन्द्र कुमार पाण्डेय के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

5.14. श्री यदुवंश यादव के आवेदन पर विचार।

निर्णय : एक वर्ष का अवधि विस्तार देने की अनुशंसा की गई।

टिप्पणी : भविष्य में ऐसे प्रकरणों में शोधार्थी द्वारा किए गए कार्य को शोध निर्देशक के माध्यम से अध्ययन मंडल के समक्ष समीक्षा हेतु रखा जाए। प्रस्तुत किए गए शोध कार्य की समीक्षा के उपरान्त ही शोधार्थी की शोध अवधि के विस्तार की अनुशंसा की जाए।

मद सं. 6. प्रो. सूरज पालीवाल के शोध निर्देशन में शोधरत शोधार्थियों के संबंध में विचार।

निर्णय : विद्या-परिषद की 26 वीं बैठक (29 अप्रैल 2017) के कार्यवृत्त के मद सं. 8 के निर्णय के आलोक में विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिए गए -

- शोधार्थी श्री संदीप मधुकर सपकाले की शोध पूर्व प्रस्तुति संपन्न हो चुकी है। अतः उनके लिए सह शोध-निर्देशक की आवश्यकता नहीं है।
- शोधार्थी सुश्री प्रियंका शर्मा प्रो. सूरज पालीवाल के शोध निर्देशन में दो वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं। अतः उनके लिए सह-शोध निर्देशक आवंटित किया जाए।
- शोधार्थी सुश्री पूजा रानी के प्रो. सूरज पालीवाल के शोध निर्देशन में दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। अतः उनके लिए शोध-निर्देशक आवंटित किया जाए।

टिप्पणी : सह-शोध निर्देशक तथा शोध-निर्देशक का आवंटन अध्यापकों की रिक्त सीटों के आधार पर शोधार्थी एवं शोध-निर्देशक की आपसी सहमति से किया जाए।

मद सं. 7. क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र, एम.फिल. तथा पी-एच.डी. के शोध विषय पर विचार।

निर्णय :

- एम.फिल. के शोध विषय अनुमोदित।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

- विद्या-परिषद की 26 वीं बैठक (29 अप्रैल 2017) के कार्यवृत्त के मद सं. 8 में लिए गए निर्णय एवं क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद से प्राप्त पत्र के आलोक में चर्चा के उपरांत पी-एच.डी. शोधार्थियों के शोध विषय के संबंध में अध्ययन मंडल के सदस्यों को प्रक्रियागत समस्याएँ दिखाई पड़ीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीनतम विनियम, 2016 के अनुसार “केवल संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षक की अनुमति नहीं है। तथापि, उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है” तथा विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2017 के बिंदु क्र. 6.2 के अनुसार “Only a full regular teacher of the University can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the University or from other related institutions in consultation with the Research Advisory Committee.” इसे ध्यान में रखकर अध्ययन मंडल ने उक्त प्रकरण को माननीय कुलपति के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ/निर्देशार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

टिप्पणी : इस प्रकरण को स्कूल बोर्ड, साहित्य विद्यापीठ की आगामी बैठक में सूचनार्थ रखा जाए।

- मद सं. 8. क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता से प्राप्त पत्र, एम.फिल. के शोध विषय पर विचार।

निर्णय : अनुमोदित।

➤ अध्यक्ष की अनुमति से विचारणीय बिंदु -

- एम.फिल. अवार्ड लेटर के संबंध में

निर्णय : पी-एच.डी. की तरह ही एम.फिल. का भी अवार्ड लेटर जारी किया जाए।

(डॉ. रूपेश कुमार सिंह)

(डॉ. सुनील कुमार)

(डॉ. बीर पाल सिंह यादव)

(डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी)

(डॉ. रामानुज अस्थाना)

(प्रो. अवधेश कुमार)

(प्रो. अखिलेश कुमार दुबे)

(प्रो. प्रीति सागर)

(प्रो. भारती गोरे)

(प्रो. गजेन्द्र पाठक)

(प्रो. कृष्ण कुमार सिंह)



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, साहित्य विद्यापीठ के अध्ययन मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग की अध्यक्ष प्रो. कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

❖ प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: अध्यक्ष
❖ प्रो. प्रीति सागर, प्रोफेसर	: सदस्य
❖ प्रो. अखिलेश कुमार दुबे, प्रोफेसर	: सदस्य
❖ प्रो. अवधेश कुमार, प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. रामानुज अस्थाना, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. बीर पाल सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ डॉ. रूपेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर	: सदस्य
❖ प्रो. गजेन्द्र पाठक, हैदराबाद	: सदस्य
❖ प्रो. भारती गोरे, औरंगाबाद	: सदस्य
❖ डॉ. प्रीति प्रज्ञा (अनुपस्थित)	: भूतपूर्व विद्यार्थी

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

मद सं. 1. सत्र 2017-18 में प्रवेश प्राप्त के एम.फिल. एवं पी-एच.डी. शोधार्थियों के शोध विषय एवं शोध निर्देशक का आवंटन।

निर्णय : अनुमोदित।

मद सं. 2. डॉ. सुनील कुमार से प्राप्त पत्र पर विचार।

1. पी-एच.डी. शोध छात्रों के शोध प्रस्ताव (Synopsis) का खुला प्रस्तुतीकरण होना चाहिए, जिसमें विभाग के छात्रों और सभी अध्यापकों अथवा विभाग के सभी अध्यापकों की भागीदारी हो।
2. प्रत्येक चार महीने पर शोध छात्रों के साथ विभाग के सभी अध्यापकों की बैठक हो, जिसमें शोध छात्र सविस्तार अपनी शोध प्रगति प्रस्तुत करें।
3. जो छात्र अपने शोध को लेकर गम्भीर नहीं हैं और जिनका शोध कार्य संतोषजनक नहीं है, उनके लिए विभाग आवश्यक कार्रवाई करे। इसके अंतर्गत फेलोशिप की कटौती, फेलोशिप रोकना तथा पी-एच.डी. निरस्तीकरण जैसे प्रावधान शामिल हों।
4. प्रत्येक छमाही में शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर ही शोध छात्र को अगली छमाही में अध्ययन करने की अनुमति मिले।
5. बिना शोध निर्देशक की अनुशंसा के किसी भी शोध छात्र को व्यक्तिगत अवकाश नहीं दिया जाए।

गांधी हिल्स, पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र)

फोन नं.- +91 - 7152-232974 फैक्स नं.- +91 - 7152-230903 मो.- +91 - 9404354261

ई-मेल : kks5260@gmail.com, sahitavyibhag@gmail.com वेबसाइट : www.hindivishwa.org



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

6. यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष की अनुमति के कोई शोध छात्र मुख्यालय छोड़कर बाहर न जाए।
 7. शोध अवकाश से लौटने के बाद शोध छात्र उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शोध निर्देशक की अनुशंसा से विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करे।
- निर्णय : डॉ. सुनील कुमार के पत्र में उल्लिखित बिंदुओं पर विचारोपरांत प्रस्तावों पर अध्ययन मंडल की सहमति बनी और बिंदु सं. 7 में यह जोड़ा गया कि वह जिस स्थान पर शोध अवकाश हेतु जाएगा वहाँ से उसका प्रमाण (पुस्तकालय प्रमाण पत्र आदि) भी प्रस्तुत करेंगा।
- 2.1. कोलकाता केंद्र में एम.फिल. हिंदी साहित्य की शोधार्थी मौसमी गुप्ता का एम.फिल. का शोध विषय एवं शोध निर्देशक का निर्धारण।
- निर्णय : अनुमोदित।
- मद सं. 3. पी-एच.डी. सत्र 2014-15 में प्रवेश प्राप्त शोधार्थी सुश्री अनुसुमन बड़ा के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : शोध कार्य जारी रखने की अनुशंसा की गई।
- मद सं. 3. पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत मा. कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित पी-एच.डी. के शोधार्थियों के शोध अवधि विस्तार।
- 3.1. दयानिधि पाठक के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : तीन माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.2. रमेश कुमार के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : छः माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.3. शशिकान्त यादव के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : छः माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.4. गजेन्द्र कुमार पाण्डेय के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : छः माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.5. यदुवंश यादव के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : पाँच माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.6. कमलेश यादव के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : छः माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.7. आशुतोष कुमार शुक्ल के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : छः माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.8. सूर्य प्रकाश के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : छः माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.9. शैलेश कुमार के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : छः माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.10. कृष्ण कुमार मिश्र के आवेदन पर विचार।
- निर्णय : तीन माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।
- 3.11. प्रियंका शर्मा के आवेदन पर विचार।

गांधी हिल्स, पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र)

फोन नं.- +91 - 7152-232974 फैक्स नं.- +91 - 7152-230903 मो.- +91 - 9404354261

ई-मेल : kks5260@gmail.com, sahitayavibhag@gmail.com वेबसाइट : www.hindivishwa.org



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

निर्णय: छ: माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।

3.12. विजय लक्ष्मी सिंह के आवेदन पर विचार।

निर्णय: छ: माह का अवधि विस्तार देने की सूचना ग्रहण की गई।

मद सं. 4. डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्राप्त पत्र पर विचार।

निर्णय: पी-एच.डी. अध्यादेश के आलोक में विभागीय अध्ययन मंडल ने यह निर्णय लिया कि डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा को हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग में शोध निर्देशक नामित नहीं किया जा सकता। यह विषय अध्ययन मंडल के क्षेत्राधिकार के बाहर का है।

❖ अध्यक्ष की अनुमति से उठाये गए अन्य मुद्दे -

• शोधार्थियों को प्राप्त कंटीजेंसी की राशि के समुचित उपयोग के संदर्भ में -

निर्णय : उपर्युक्त के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि शोधार्थी अपने कंटीजेंसी की 50% राशि पुस्तकों की खरीद पर व्यय करेंगे और इस हेतु विभाग में हर शोधार्थी का एक रजिस्टर होगा जिसमें शोधार्थी द्वारा खरीदी गयी पुस्तकों सहित संपूर्ण कंटीजेंसी राशि का व्यौरा शोधार्थी द्वारा दर्ज किया जाएगा जिसे शोध निर्देशक सत्यापित करेंगे। खरीदी गई पुस्तकों पर विभाग का स्टैम्प लगाकर पुस्तकों पर पुस्तक संख्या का उल्लेख किया जाएगा। शोधार्थी पुस्तकों का उपयोग करेगा तथा पाठ्यक्रम समाप्ति के पश्चात पुस्तकें जमा करने के उपरांत उन्हें विभाग द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(डॉ. रूपेश कुमार सिंह)

(डॉ. सुनील कुमार)

(डॉ. बीर पाल सिंह यादव)

(डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी)

(डॉ. रामानुज अस्थाना)

(प्रो. अखिलेश कुमार दुबे)

(प्रो. अवधेश कुमार)

(प्रो. प्रीति सागर)

(प्रो. भारती गौरे)

(प्रो. गजेन्द्र पाठक)

(प्रो. कृष्ण कुमार सिंह)

गांधी हिल्स, पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र)

फोन नं.- +91 - 7152-232974 फैक्स नं.- +91 - 7152-230903 मो.- +91 - 9404354261

ई-मेल : kks5260@gmail.com, sahityavibhag@gmail.com वेबसाइट : www.hindivishwa.org